उसके पूरे होने में कितना समय और लगेगा ; और

(ख) इस कार्य के पूरा न होने से गौहाटी तेलशोधक कारखाने पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

† [LAYING OF PIPELINE IN NUNMATI AND NAHORKATTYA OILFIELDS

*10. SHRI RAM SAHAI: Will the Minister of STEEL, MINES AND FUEL "be pleased to state:

(a) how much more time will be required to complete the work of laying the pipeline in Nunmati and Nahorkatiya oilfields; and

(b) what has been the effect of the non-completion of this work on the Gauhati Oil Refinery?]

खान तथा तेल मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) नाहरकटिया और नूनमती के बीच में बिछाई जाने वाली पाइप लाइन का काम पूरा हो चुका है ।

(ख) उपर्युक्त पाइप लाइन के देर में पूरे होने से गौहाटी शोधनशाला पर क्या प्रभाव हुआ, इसकी जांच की जा रही है ।

†[THE MINISTER OF MINES AND I OIL (SHRI K. D. MALAVIYA): (a) Work of laying the pipeline between Nahorkatiya and Nunmati has been completed.

(b) The effect of delay in the completion of the pipeline on the Gauhati Refinery is being assessed.]

सोने का चोरी छिपे लाया जाना

†११. श्री राम सहाय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६० से मार्च, १९६१ तक की अवधि में कितना अवैध सोना पकड़ा गया और उसका मूल्य क्या है और इस बात का पता लगाने के लिये कि इस प्रकार चोरी-छिपे सोना आने से सरकार को कितना नुक्सान हुआ है, क्या कोई सर्वे किया गया है और सोने को चोरी से लाये जाने को रोकने के लिये क्या उपाय सोचे जा रहे हैं ?

†[SMUGGLING OF GOLD

•11. SHRI RAM SAHAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state the amount and value of the contraband gold seized during the period from April, 1960 to March, 1961 and whether any survey has been made to find out the loss suffered by Government as a result of smuggling of gold and what Bteps are being contemplated to check such smuggling?]

वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत चोरी छिपे लाया गया लगभग १,६४,७६,००० रुपये का १,२४,६६० तोला सोना १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक पकड़ा गया । स्वभावतः यह अन्दाजा लगाना सम्भव नहीं है कि कितना सोना चोरी-छिपे लाया गया होगा और उसके कारण कितना नुक्सान हुआ होगा । सरकार चोरी-छिपे माल लाने-ले जाने और उसके परिणामों पर कड़ी नजर रखती है । सरकार ने चोरी-छिपे माल लाना-ले जाना बन्द करने के लिए बहुत से उपाय किये हैं । एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिस में इन उपायों का विवरण दिया गया है । इन उपायों के सम्बन्ध में बराबर विचार किया जाता है और अनुभव के आधार पर उन में सुधार कर दिया जाता है ।

†[ ] English translation. Postponed from the 13th March, 1962.

विवरण

चोरी-छिपे माल लाने ले जाने की रोक थाम के लिये किये गये उपाय

१. सारे सीमा-शुल्क (कस्टम्स) स्टेशनों और हवाई अड्डों पर यात्रियों की सीमाशुल्क सम्बन्धी जांच पड़ताल की जाती है। यात्रियों से यह बताने को कहा जाता है कि क्या उन के सामान में सोना या गहने आदि हैं। संदेहास्पद मामलों में व्यक्ति की और सामान की पूरी तलाशी ली जाती है। समय समय पर आकस्मिक जांच भी की जाती है।

२. अन्तर्राष्ट्रीय (फारेन) डाकघरों से होकर जाने वाले लिफाफों और डाक की दूसरी चीजों की नियमित जांच की जाती है, ताकि यह जाना जा सके कि उनमें सोना तो नहीं है।

३. समुद्र मार्ग से या हवाई जहाजों के जरिये भारत से बाहर भेजे जाने वाले या भारत में मंगाये जाने वाले सारे माल के कुछ प्रतिशत की जांच सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा की जाती है।

४. सारे हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर सीमा शुल्क विभाग के निरोधक (प्रिवेंटिव) अधिकारी नियुक्त हैं। जिन स्थानों से चोरी-छिपे माल लाने या लेजाने की आशंका होती है वहा जीप-गाड़ियों और मोटर नौकाओं द्वारा गश्त लगाया जाता है।

५. संदिग्ध जहाजों और विमानों की तलाशी ली जाती है और उनपर पहरा बिठा दिया जाता है।

६. जानकारी इकट्ठी करने के लिए सीमा-शुल्क विभाग के खुफिया कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है।

७. चोरी-छिपे माल लाने ले जाने वालों का पूर्वापराध-पत्र (हिस्ट्री शीट) रखा जाता है और जानकारी प्राप्त करने के साधनों को बढ़ाने का हर संभव प्रयत्न किया जाता है।

८. सादे कपड़ों में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा बाजारों, रेलवे स्टेशनों और मुख्य सड़कों पर चोरी-छिपे माल लाने-लेजाने वालों पर बराबर निगरानी रखने का काम और भी जोरदार ढंग से शुरू कर दिया गया है।

९. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नयी दिल्ली, ने "स्वर्ण दर्शक" (गोल्ड डिटेक्टर) नामक एक वैज्ञानिक यंत्र का अविष्कार किया है, जो किसी चीज या मनुष्य के शरीर में छिपाई गयी किसी भी धातु का पता देता है। चूंकि इस यंत्र के कारण काफी सफलता मिली है, इसलिए छिपे सोने का पता लगाने के लिए ऐसे यंत्र सभी सीमा-शुल्क कलक्टरों को दे दिये गये हैं।

१०. जहां तक भू-सीमा का सम्बन्ध है, सारी सीमा पर प्रभावपूर्ण ढंग से निगरानी रखने का काम अधिक साध्य नहीं है। इसलिए चोरी-छिपे माल लाने-ले जाने के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई निश्चय ही निम्नलिखित बातों पर आधारित होगी :

(क) संगठित और प्रभावपूर्ण खुफिया प्रणाली।

(ख) ऐसी सीमाओं पर निगरानी के लिए नियुक्त सुरक्षा कर्मचारियों के साथ सीमा शुल्क सम्बंधी समन्वित प्रयत्न।

(ग) रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले, सीमा शुल्क फ्लाईंग स्क्वाड

द्वारा निरन्तर और आकस्मिक जांच-पड़ताल ।

इस व्यवस्था को अधिक से अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए बराबर कार्रवाई की जा रही है

११. आदमियों की कमी दूर करने और खर्च में कमी करने के उद्देश्य से सीमावर्ती पुलिस कर्मचारियों की तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती के मामले में सीमा-शुल्क सम्बन्धी कुछ अधिकार दिये गये हैं।

१२. अखिल भारतीय आधार पर खुफिया काम में सुधार करने के लिए, १९५७ में "राजस्व गुप्तचर कार्य निदेशालय" (डायरेक्टरेट आफ रेवेन्यू इन्टेलिजेन्स) नामक एक नया संगठन बनाया गया था । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फारेन एक्सचेंज रेग्यूलेशन ऐक्ट) के विभिन्न उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए वित्त मंत्रालय के अधीन प्रवर्तन निदेशालय (डायरेक्टरेट आफ एन्फोर्स-मेंट) भी बनाया गया है ।

१३. कर्मचारियों को सुराग लगाने (डिक्टेक्शन) के काम की ट्रेनिंग देने के लिये काफी बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गयी है ।

१४. समय समय पर किये जाने वाले सम्मेलनों और विचार-विमर्श के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों से भी अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जा रहा है । इसी तरह प्रवर्तन निदेशालय तथा खुफिया विभाग जैसे अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों से सहयोग प्राप्त किया जाता है ।

१५. नौ-सेना के सहयोग से, समुद्र में तेजी से चलने वाली मोटर नौकाएं कोंकण के तटवर्ती क्षेत्र में चलायी जा रही हैं।

१६. चुंगी चोरी का माल छिपाने के उद्देश्य से ठीक ठाक की गयी नौकाओं को जब्त करने के उद्देश्य से अप्रैल, १९५७ में समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन किया गया था । संदेहास्पद मामलों में यह साबित करने का बोझ संदिग्ध व्यक्ति पर डाला गया है कि उस के पास से बरामद किया गया माल सचमुच उसी का है । संदेहास्पद कागज-पत्रों को जब्त करने और जरूरत पड़ने पर गवाहों को बुलाने और ऐसे मामलों में, जहां सीमाकर या आयात-प्रतिबन्धों से बचने के लिए धोखा देने के प्रयत्नों का पता लगे, मुकदमा चलाने का अधिकार भी प्राप्त किया गया है ।

१७. मुकदमें चलाये जाते हैं और भारी जुर्माने किये जाते हैं जिन में सोने आदि की जब्ती भी शामिल है ताकि दण्ड ऐसा हो जिस से अपराध करने का हौसला टट जाये ।

HTHE DEPUTY MINISTER OF FINANCE (SHRI B. R. BHAGAT): The quantity of gold seized as smuggled during the period from the 1st April, I960, to the 31st March, 1961, was 1.24,660 tolas, of the approximate value of Rs. 1,64,76,000. In the nature of things it is not possible to estimate the quantity of gold which might have been successfully smuggled and the loss on that account. Government however, keep a close watch on the trend in regard to smuggling and its implications. Government have also taken various steps to put down smuggling. A statement showing these measures is placed on the Table of the Sabha. These measures are constantly being reviewed and improved upon in the light of experience.

STATEMENT

Measures adopted for prevention of smuggling

1. Customs examination of passengers is undertaken at all Customs

†[ ] English translation.

stations and aerodromes. Passengers are asked to declare whether they have in their baggage any gold, jewellery etc. In suspected cases a thorough search of persons and baggage is conducted. Surprise checks are also made from time to time.

2. Regular examination is carried out of letter mail and postal articles passing through the Foreign Post Offices to examine whether they contain gold.

3. All cargo imported or exported by air or sea into or out of India is subjected to a percentage customs examination.

4. Customs Preventive Officers are *employed at* all the air and sea ports. Jeep and launch patrols are conducted at vulnerable points.

5. Suspected vessels and aircraft are rummaged and specially guarded.

6. Customs intelligence staff are employed for collecting information.

7. The history sheets of smugglers are maintained and every effort made to expand, sources of information.

8. Surveillance in bazars, round the railway stations and on main roads, by plain clothed Customs and Central Excise Officers has been intensified.

9. A scientific instrument known as "Gold Detector", which indicates the presence of any metal concealed either in any object or inside the human body has been invented by the National Physical Laboratory, New Delhi. As the instrument has had fair success, a number of them have been supplied to all the Collectorates for detection of gold.

10. On the Land frontiers physical -guarding of the entire border line in -a really effective manner is not very practicable. Anti-smuggling operations have essentially to be based therefore, on:

(a) an organised and effective intelligence system;

(b) co-ordinated customs effort along with security staff employed on such borders for guarding; and

(c) continuous and surprise checks made by customs flying squads, independently operated, as a second line °f defence.

Steps are being progressively taken to make this pattern increasingly efficient.

11. To overcome the shortage of man power and also with a view to economise in expenditure Border Police personnel have been invested with certain customs powers in the matter of search, arrest and seizure.

12. In order to improve intelligence work on an all-India basis, a new organisation designated as the "Directorate of Revenue Intelligence" has been constituted in 1957. A Directorate of Enforcement has also been created under the Ministry of Finance to enforce various provisions of the Foreign Exchange Regulation Act.

13. Training of staff in detection work has been arranged for in a much greater measure.

14. Co-operation of State Government staff is increasingly sought through periodical conferences and consultations. Similar co-operation is maintained with other Central Government departments like the Directorate of Enforcement and the Intelligence Bureau.

15. Fast Sea going launches have been put in commission with the cooperation of the Navy, on the Konkan coast.

16. The Sea Customs Act was amended in April, 1957 to provide for confiscation of vessels adapted for the purpose of concealing contraband. In suspicious cases the onus of proof of bona fide possession of goods has been transferred to the suspect concerned. Power* have also been acquired to

seize suspicious documents and to summon witnesses whenever neeessary and to launch prosecutions in cases ' where fraudulent attempts to evade duty or import restrictions are discovered.

17. Prosecutions are launched and heavy penalties are imposed, including the confiscation of the gold etc. so that punishment is deterrent.]

† दिल्ली में किये गये जुर्म

*१२. **श्री राम सहाय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६१ से मार्च, १९६२ तक की अवधि में दिल्ली खास में संगीन हमले क़त्ल और चोरी की कितनी वारदातों के होने की सूचना मिली ;

(ख) इस अवधि में ऐसे जुर्म करने वाले कितने व्यक्तियों को सजा दी गई; और

(ग) किस प्रकार के जुर्म गत वर्ष के जुर्मों के मुकाबले में ज्यादा तादाद में किये गये ?

[CRIMES COMMITTED IN DELHI

•12. SHRI RAM SAHAI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of cases of grievous assault, murder and theft, which were reported to have been committed in Delhi proper during the period between April, 1961 and March, 1962;

(b) the number of persons who were punished for the commission of such crimes during the said period; and

(c) which types of crimes were committed in greater number as compared with those committed last year?]

गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० दातार) : फ़रवरी, १९६२ तक के मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

(१-४-६१ से २८-२-६२ तक)

	संगीन मामले	कत्ल	चोरियां
(क)	३४१	५८	५९९१
(ख)	८३	४०	७६०

(ग) इन सभी प्रकार के अपराधों में कुछ बढ़ोतरी हुई है ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI B. N. DATAR); Figures for the period ending February, 1962 are as follows:

(From 1-4-61 *to* 28-2-62)

	Grievous Assault	Murder	Theft
(a)	341	58	5991
(b)	83	40	760

(c) There has been a slight increase under all these heads of crime.]

SAMPLING AND ANALYSIS OF COAL

13. SHRI BAIRAGI DWIBEDY; Will the Minister of STEEL, MINES AND FUEL be pleased to state:

(a) what are the results of the sampling and analysis of coal followed by the Coal Board;

(b) whether the procedure followed by the Coal Board is related to the specification of the Indian Standards Institute; and

(c) whether this procedure has been approved by the Central Fuel Research Institute?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND FUEL (SARDAR SWARAN SINGH): (a) and b). The Coal Mines (Conser- I vation and Safety) Rules, 1954 em-

†Postponed from the 13th March, 1962 †[ ] English translation.